

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 212-2024/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, DECEMBER 30, 2024 (PAUSA 9, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय सुधार शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 30 दिसम्बर, 2024

संख्या 7/31/2014—3ए0आर0.— हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014—3ए.आर., दिनांक 15 फरवरी, 2016 की अनुसूची की क्रम संख्या 47 से 49 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के अधीन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की निम्नलिखित सेवाएं, समय सीमा, जिसके भीतर ये नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी हैं, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची

	विभाग का नाम	सेवा का नाम			प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	पानी / सीवर का डुप्लीकेट बिल जारी करना		उपमंडल	सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम		पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण
						प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
2	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	(i) ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जल आपूर्ती कनेक्शन की स्वीकृति	07 दिन	सम्बन्धित उपमंडल अभियन्ता	सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता
		(ii) ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज कनेक्शन की स्वीकृति	07 दिन	सम्बन्धित उपमंडल अभियन्ता	सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता
3	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	(i) पानी का रिसाव होना / पाईप से अतिरिक्त पानी बहना	07 दिन	सम्बन्धित उपमंडल अभियन्ता	सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता
		(ii) सीवरेज में रूकावट / मैन होलों से अतिप्रवाह होना	07 दिन	सम्बन्धित उपमंडल अभियन्ता	सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता
		(iii) छोटी समस्याओं जैसे कि पम्पिंग मशीनरी, ईलेक्ट्रिक वायरिंग, वितरण प्रणाली आदि में खराबी के कारण जल आपूर्ति की बहाली	03 दिन	सम्बन्धित उपमंडल अभियन्ता	सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता
		(iv) जलापूर्ति में बड़ी बााधाओं को ठीक करना जैसा कि कच्चे पानी की कमी ट्रांसफार्मर का जलना और एल.टी./ एच.टी. लाईनों में बाधा।	06 दिन	सम्बन्धित उपमंडल अभियन्ता	सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता
		(v) जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं को ठीक करना जैसा कि ट्रांसफार्मर का जलना, बिजली की दूसरी मुख्य बाधाएं जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ठीक/मुरम्मत की जानी है	10 दिन	सम्बन्धित उपमंडल अभियन्ता	सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता
4	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	खुदाई के उपरान्त पाईपलाईन बिछाने सहित टूटी हुई सड़क को वाहन के चलाने योग्य स्थिति में बहाल करना	30 दिन	सम्बन्धित उपमंडल अभियन्ता	सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता

विवेक जोशी, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)

Notification

The 30th December, 2024

No. 7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014) and in supersession of serial numbers 47 to 49 and entries thereagainst of the Schedule to the Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No.7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby notifies the following services, the time limit within which these are to be provided to citizens, the Designated Officers, First Grievances Redressal Authority and Second Grievances Redressal Authority of Public Health Engineering Department under the said Act as specified in the Schedule given below, namely:-

Schedule

Serial No.	Name of the Department	Name of service	Given time limit	Designated officer	First Grievances Redressal Authority	Second Grievances Redressal Authority
1	2	3	4	5	6	7
1	Public Health Engineering Department	Issuance of duplicate water/sewer bill	03 Days	Sub Divisional Engineer concerned	Executive Engineer concerned	Superintending Engineer concerned
2	Public Health Engineering Department	(i) Sanction of water supply connection in the Rural and Urban areas	07 Days	Sub Divisional Engineer	Executive Engineer concerned	Superintending Engineer concerned
		(ii) Sanction of sewerage connection in the Rural and Urban areas	07 Days	concerned		
3	Public Health Engineering Department	(i) Water Leakage/ Over Flow pipes	07 Days	Sub Divisional Engineer concerned	Executive Engineer concerned	Superintending Engineer concerned
		(ii) Sewerage/Blocked/ Over flow of Manholes	07 Days	Sub Divisional Engineer concerned	Executive Engineer concerned	Superintending Engineer concerned
		(iii)Restoration of Water Supply due to minor problems i.e. fault in pumping machinery, electric wiring, distribution system etc.	03 Days	Sub Divisional Engineer concerned	Executive Engineer concerned	Superintending Engineer concerned
		(iv) Restoration of Water Supply due to major problems i.e. shortage of raw water, burning of transformer and fault in LT/HT Lines etc.	06 days	Sub Divisional Engineer concerned	Executive Engineer concerned	Superintending Engineer concerned
		(v) Restoration of Water Supply due to major problems i.e. burning of transformer, other major electric fault etc. to be rectified/ repaid by PHED	10 Days	Sub Divisional Engineer concerned	Executive Engineer concerned	Superintending Engineer concerned
4	Public Health Engineering Department	Restoration of broken street to motorable conditions including laying of pipeline after excavation	30 Days	Sub Divisional Engineer concerned	Executive Engineer concerned	Superintending Engineer concerned

VIVEK JOSHI, Chief Secretary to Government, Haryana.